वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा

संख्या 1519 / व.ग्रा.वि. / 2001 देहरादून : 25 / 10 / 2001

कार्यालय ज्ञाप

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल

विषय : सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) का कार्यान्वयन

महोदय,

भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या V-24011/34/2001/ SGRY दिनांक 17 अक्टूबर 2001 के द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना (SGRY) नाम से नई योजना प्रारम्भ की गयी है. जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2001 को की गयी थी. भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) तथा सुनिश्चित रोजगार योजना (EAS) को मिलाकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाई जायेगी, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी मजदूरी से रोजगार सृजन की योजनाओं को मिलाकर SGRY के नाम से चलाई जायेगी जिसका कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों से किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग की दो योजनाओं JGSY तथा EAS को मिलाकर SGRY के भाग के रूप में इसी वित्तीय वर्ष से संचालित किया जायेगा. आगामी वित्तीय वर्ष (2002–2003) में दोनों योजनाओं को पूर्ण रूप से मिलाकर SGRY के रूप में चलाया जायेगा. नई योजना के तहत खाद्यान्न तथा आवश्यक धनराशि भी वर्तमान JGSY और EAS के आधार पर प्राविधानित किया जायेगा. वर्तमान में चल रहे मानकों के अनुसार अतिरिक्त राज्यांश के रूप में कैश कम्पोनेन्ट (नगद अंश) की आवश्यकता होगी जिसे राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा. भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं में परिव्यय पुनर्निधारित किया गया है। जनपदवार वित्तीय एवं खाद्यान्न की व्यवस्था वर्तमान

निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया है और जनपदवार परिव्यय धनराशि तथा खाद्यान्न का आवंटन JGSY तथा EAS में संलग्नक : 1 में दिया गया है। भारत सरकार के संलग्नक : 2 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न कार्यवाही की जायेगी :

1.1 सुनिश्चित रोजगार तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना SGRY के अंग के रूप में मार्च, 2001 तक जारी रहेगा, उक्त दोनों योजनाओं को अतिरिक्त परिव्यय तथा धनराशि जो भी उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसकी सूचना पूर्व में दी चुकी है जिन जनपदों को प्रथम किस्त का आवंटन नहीं हुआ है उन जनपदों को 50 प्रतिशत के परिव्यय का खाद्यान्न प्रथम किस्त के साथ आवंटित किया जायेगा और अवशेष 50 प्रतिशत खाद्यान्न द्वितीय किस्त के समय अधिकृत किया जायेगा।

1.2 केन्द्रीय सहायता का द्वितीय किस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के मांग पर निर्धारित रूप पत्रों में कुल उपलब्ध धनराशि के 60 प्रतिशत धनराशि/खाद्यान्न में उपयोग किये जाने पर तथा उनके द्वारा प्रतिवेदन जिसमें खाद्यान्न के उठाये जाने से सम्बन्धी होगा जिसे परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम के द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

1.3 JGSY तथा EAS के अन्तर्गत प्रथम किस्त का शेष और खाद्यान्न की मात्रा जो भी देय हो जनपदों को शीघ्र अवमुक्त किया जायेगा। इस वर्ष के लिए कुल धनराशि और खाद्यान्न की मात्रा जो अवमुक्त किया गया है, को द्वितीय किस्त के अवमुक्त करने के लिए अनिवार्य नहीं माना जायेगा।

1.4 जिन जनपदों को द्वितीय किस्त अग्रिम अथवा सामान्य दशा में दिया जा चुका है उनके शेष परिव्यय के साथ अवशेष देय

मात्रा में खाद्यान्न शीघ्र अवमुक्त किया जायेगा।

1.5 जो जनपद खाद्यान्न उठाना नहीं चाहता है अथवा परिव्यय के कम मात्रा में खाद्यान्न उठाना चाहता है उन जनपदों को शीघ्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित करना चाहिए ताकि उन जनपदों को उनके नगद शेष परिव्यय को अथवा कम किये गये खाद्यान्न की मात्रा के बराबर नगद धनराशि को अवमुक्त किया जा सके, खाद्यान्न के उठान नहीं किये जाने पर अथवा कम मात्रा में खाद्यान्न उठाये जाने पर राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए शुद्ध हानि है क्योंकि केन्द्र सरकार से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न की आपूर्ति अतिरिक्त तथा मूल्य रहित है।

1.6 इन दो योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष से नये कार्य तभी लिये जा सकते हैं जब पुराने चल रहे कार्य पूर्ण हो चुके हों और जो कार्य 31 अक्टूबर, 2001 से पूर्व प्रारम्भ किये जा चुके होंगे.

1.7 जो राज्य/जिला खाद्यान्न चुनते हैं प्रति मानव दिवस में 5 किलों का खाद्यान्न वस्तु अंश (काइण्ड कम्पोनेन्ट) के रूप में मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, जो राज्य सरकार 5 किलोग्राम से अधिक मानव दिवस के रूप मे खाद्यान्न बॉटना चाहते हैं उन्हें अपने उपलब्ध परिव्यय के अनुसार अनुमति दी जायेगी.

1.8 राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को मजदूरी के रूप में भी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के मूल्यों के बीच भुगतान हेतु किसी भी दर पर नियत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, मजदूरों को शेष मजदूरी नगद भुगतान के रूप में दिया जायेगा जिससे घोषित न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराया जा सके।

1.9 यह सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को भी खाद्यान्न का भुगतान उनके कार्यस्थल पर ही कर दिया जाए यदि मजदूर अपने निवास स्थल के आसपास खाद्यान्न प्राप्त करना चाहते है तो उसी तरह की व्यवस्था की जा सकती है. राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के उपयोग हेतु छूट रहेगी इस हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षरण को बचाने हेतु प्रभावी व्यवस्था करनी पड़ेगी. मजदूरी का भुगतान नगद तथा खाद्यान्न के रूप में सप्ताह में कम से कम एक बार बिना गतिरोध के किया जाना चाहिए।

1.10 खाद्यान्न का किराया भाड़ा भारतीय खाद्य निगम (FCI) खाद्य निगम के गोदामों से कार्यस्थल तक/सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के गोदाम तक वितरण तथा ढुलान की जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपदों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

1.11 भारत सरकार के ग्राम्य विकास विभाग SGRY योजना के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले खाद्यान्न के (राज्यों को JGSY तथा EAS के अन्तर्गत) अवमुक्त की सूचना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जनपदवार विवरण देने हेतु जिम्मेदार होगा. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग FCI को राज्यों के मांग के अनुसार सूचित करेगा तथा जिसमें खाद्यान्न आपूर्ति से सम्बन्धित डिपो का भी नाम अंकित रहेगा, की सूचना राज्यों के ग्राम्य विकास, सचिवों को भी दी जायेगी.

1.12 जनपद स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अवमुक्त किये गये खाद्यान्न की मात्रा उठाने तथा भण्डारण सम्बन्धी समन्वयक रहेंगे, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जिले के अन्तर्गत सूचित आवंटित खाद्यान्न के ढुलान का भाड़ा डी.आर.डी.ए. अथवा अधिकृत ऐजेन्सी के माध्यम से FCI को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. राज्य सरकारों को यह दायित्व दिया गया है कि इस योजना को पूरी शक्ति से लागू करें तथा इनका कार्यान्वयन अति परिश्रम और लगन से किया जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन सम्भव हो सके।

3. केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस वित्तीय वर्ष में उपयोग किये जाने वाले खाद्यान्न, गेहूँ तथा चावल की आपूर्ति क्षेत्र की रूचिनुसार निर्धारित मात्रा में तुरन्त प्रस्ताव भेजें, जो राज्य सरकारें उनकों आवंटित खाद्यान्न का उपयोग नहीं करना चाहते हैं उनके बदले अन्य दूसरे राज्यों को आवंटित किया जायेगा और यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि खाद्यान्न अन्य राज्यों को स्थानान्तरित किया जाता है तो उसके बदले नगद धनराशि नहीं दी जायेगी जिसका परिणाम यह होगा कि सम्बन्धित राज्य सरकारें जो खाद्यान्न नहीं उठा रहे हैं उस मूल्य तक के खाद्यान्न को खोयेंगे. आगामी वर्ष से यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु खाद्यान्न का उठाना जरूरी होगा और इसी अनुपात में लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा। यदि कोई राज्य आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न नहीं उठा पायेगा तो उसी अनुपात में नगद धनराशि काट कर दी जायेगी।

4. अतः योजना का पूर्ण लाभ उठाने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया जाता है कि इस नई योजना का कार्यान्वयन बिना किसी विलम्ब के किया जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को रोजगार का लाभ मिल सके. इस योजना के कार्यान्वयन में किसी तरह का कोई सन्देह और कठिनाई हो तो तुरन्त शासन एवं भारत सरकार, ग्राम्य विकास मंत्रालय से सम्पर्क करें।

(डा. आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एंव ग्राम्य विकास

संख्याः . /व.ग्रा.वि./2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ

1. समस्त जिला अधिकारी उत्तरांचल
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल
3. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल शासन
4. मुख्य सचिव, उत्तरांचल
5. निजी सचिव मा. ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, उत्तरांचल को मा. मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित

(डा. आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्याः /व.ग्रा.वि./2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः

1. समस्त परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. खाद्यान्न को आवंटित मात्रा का आंकलन कर तत्काल उपायुक्त प्रशासन/कार्यक्रम पौड़ी को प्रेषित करते हुए शासन को भी अवगत करायें।
2. उपायुक्त प्रशासन/कार्यक्रम ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय पौड़ी को इस आशय से कि वे जनपदवार आवंटित खाद्यान्न की मांग संकलित कर शासन को शीघ्र उपलब्ध करायें।

(डा. आर. एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एंव आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास